

	<p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman, Central Ground Water Board - Chairman Director (Administration), Central Ground Water Board - Member An officer from another Central Government Department not below the rank of Scientist-D / Superintending Engineer, Central Ground Water Board in level-12 in the pay matrix - Member An Officer of Central Ground Water Board in Level-11 in the pay matrix - Member <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman, Central Ground Water Board - Chairman Director (Administration), Central Ground Water Board - Member An Officer of Central Ground Water Board in level-11 in the pay matrix - Member 	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 21/2/2010-CGWB]
S.K. KATARIA, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

सा का नि. 294.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' भर्ती नियम, 2014 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. उक्त नियमों में, अनुसूची के स्तंभ (4) में,—
- (क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:—
“वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर”;
- (ख) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—
“₹35400 - 112400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6”।

[फा. सं. ए. 12018/1/2011-स्था. II]

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

टिप्पण.—मूल नियम संख्या सा.का.नि 230, तारीख 27 अक्टूबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 29th August, 2018

G.S.R.294.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Library and Information Assistant, Group 'B' Recruitment Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—
“2. **Number of post, classification, level in the pay matrix or pay scale.**— The number of post, its classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”
3. In the said rules, in the Schedule, in column (4), -
(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—
“Level in the pay matrix or pay scale.” ;
(b) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
“Level 6 in the pay matrix ₹35400-112400.”.

[F. No. A.12018/1/2011-Est.II]

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 230, dated 27th October, 2014.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1. Additional Medical Superintendent,
Safdarjung Hospital —Chairman
2. Head of Department,
Physical Medicine and Rehabilitation,
Safdarjung Hospital —Member
3. Director or Deputy Director Administration
In-charge of Hospital Section,
Directorate General of Health Service —Member
4. Deputy Director Administration,
Safdarjung Hospital —Member

[F. No. A-11018/03/2014-MH II]

SANJAY PANT, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 230.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-2 और श्रेणी-3) भर्ती नियम, 1960 और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-3 भर्ती नियम, 1988 को जहाँ तक उसका संबंध पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-2 और पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-3 के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	6* (2014) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनाधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष शिथिल की जा सकती है)
टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी-उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	---	-------------------------------

(7)	(8)	(9)
आवश्यक:	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री;		
(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त		

(7)

निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर यूनिट या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त शिक्षण या अनुसंधान संस्थान या किसी भी मान्यताप्राप्त संस्थानिक पुस्तकालय के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव ।

वांछनीय :-

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा ।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमलेन किया जाएगा

(10)

(11)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

टिप्पण 1 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

- | | |
|---|----------|
| 1. संयुक्त सचिव (स्थापन)
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक या उप सचिव (स्थापन)
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग | —सदस्य |
| 3. अवर सचिव (स्थापन)
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग | —सदस्य |

[फा. सं. ए. 12018/1/2011-स्था-II]

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 27th October, 2014

G.S.R. 230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Commerce and Industry (Librarian Grade II and Grade III) Recruitment Rules, 1960 and Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Librarian Grade III Recruitment Rules, 1988, in so far they relate to the posts of Librarian Grade II and Librarian Grade III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule .

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant	6* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 : Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
<p>Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>					
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Essential : (i) Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a			Not applicable		Two years

(7)

recognised University or Institute;

(ii) two years' professional experience in a library under Central Government or State Government or Autonomous Body or Statutory Body or Public Sector Unit or University or Recognised Educational or Research Institution or any recognised Institutional Library.

Desirable :

Diploma in computer application from a recognised University or Institute.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation / absorption is to be made

(10)

(11)

By direct recruitment.

Not applicable

Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

(10)

organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of :

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1. Joint Secretary (Establishment)
Department of Industrial Policy and Promotion —Chairman
2. Director or Deputy Secretary (Establishment)
Department of Industrial Policy and Promotion —Member
3. Under Secretary (Establishment)
Department of Industrial Policy and Promotion —Member

[F. No. A- 12018/1/2011-Estt. II]

L. K. SHARMA, Under Secy.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 231.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1992 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक समूह 'घ', उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, ड्राईवर, दफ्तरी, चपरासी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।